

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अपेक्षित अर्हताएं/सामान्य दिशा निर्देश

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अन्तर्गत दिनांक 23 फरवरी, 2010 में किया गया है। आयोग में 01 अध्यक्ष एवं 06 सदस्य (जिनमें 02 महिला होना आवश्यक है) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इनका कार्यकाल कार्य ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए होता है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अनुसार आयोग द्वारा किसी मामले की जांच करते समय आयोग को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मामले को सुनते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होती है।


आयोग में 01 अध्यक्ष के रिक्त पद पर अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं/विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत चयन का अंतिम निर्णय किया जायेगा।

अधिनियम एवं संगत नियम के अन्तर्गत आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण
1	उम्र अधिकतम आयु 65 वर्ष (आवेदक की आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से की जाएगी।)
2	योग्यता बच्चों के कल्याण में क्षमता, अखण्डता एवं अनुभव रखने वाला व्यक्ति (Who is a person of eminence and ability, integrity, standing and experience) निम्न क्षेत्रों में अनुभव को वरीयता- <ul style="list-style-type: none">○ शिक्षा (education)○ बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण एवं विकास (child health, care, welfare and child development)○ किशोर न्याय या उपेक्षित एवं हाशिये पर जीवन यापन करने वाले या विकलांग बच्चों की देखरेख करने वाले (juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities)○ बाल श्रम उन्मूलन या प्रताडना से प्रभावित बच्चों (elimination of child labour or children in distress)○ बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र (child psychology or sociology)○ बच्चों से जुड़े कानून (laws relating to children) अध्यक्ष पद पर अधिकतम दो कार्यकालों के लिए ही आयोग के अध्यक्ष/

		सदस्य के आवेदन के लिए पात्र होंगे।
3	अयोग्यता	<ol style="list-style-type: none"> 1. मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड रखता हो। 2. अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 8 का उल्लंघन करता हो। 3. ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार आयोग के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो। 4. आवेदक दिवालिया हो।
4	वेतन भत्ते	राज्य सरकार द्वारा नियम 06 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित वेतन एवं अन्य भत्ते दिये जायेंगे।

उक्त वर्णित पदों पर अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/विशेषज्ञ द्वारा आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 15 जून, 2019 तक कार्यालय, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, 20/198, कावेरी पथ, सैक्टर-2, के. एल. सैनी स्टेडियम के पास, मानसरोवर, जयपुर में जमा करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in के <http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/> लिंक से प्राप्त किया जा सकता है।


 (निष्काम दिवाकर)
 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

सेवामें,

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
बाल अधिकारिता विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

आवेदक का
नवीनतम फोटो

विषय:- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर में अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बाल अधिकारिता विभाग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक के क्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत गठित राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के पद पर मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है:-

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	निवास का पूर्ण पता (स्थायी एवं वर्तमान)	
5.	ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर	
6.	वर्तमान व्यवसाय/कार्य	
7.	शैक्षणिक अर्हता (पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओं/डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)	
8.	आवेदनकर्ता द्वारा बच्चों के कल्याण संबंधी धारित अनुभव का विवरण (500 शब्दों में)	
9.	क्या आवेदक का मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है? (उत्तर हां/नहीं में दें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)	
आवश्यक स्वप्रमाणित संलग्नकों का विवरण -		

1. जन्मतिथि प्रमाण हेतु - 10 वीं की अंकतालिका संलग्न करे।
2. आवेदक की फोटो - आवेदन पत्र में आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण हेतु - समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की स्वसत्यापित प्रति।
4. कार्यानुभव प्रमाण हेतु - संबंधित संस्थान/एजेन्सी द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की प्रति एवं विभिन्न उत्कृष्ट सेवा से संबंधित पदक/प्रमाण पत्र आदि की प्रति
5. निवास के पते की पुष्टि हेतु - अपने पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति संलग्न करें जिसमें आपके निवास का सही पता अंकित हो।
6. चरित्र सत्यापन प्रमाण हेतु - पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ऑनलाईन (On line) नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें जो कि 06 माह से अधिक पुराना न हो।

नोट: इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप अथवा अपूर्ण भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होंगे।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर